



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 323]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 6, 2016/आश्विन 14, 1938

No. 323]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 2016/ASVINA 14, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2016

सं. 38/(2015—2020)

विषय : प्रक्रिया पुस्तक (2015—2020) के पैरा 2.54 के तहत अखंडित स्क्रेप (एचएमएस-I और एचएमएस-II) के आयात को अभिशासित करने की प्रक्रिया ।

फा. सं. 01/89/180/53/एएम-01/पीसी-2(ख).—विदेश व्यापार नीति, (2015—2020) के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 में पैरा 2.54- धात्विक अपशिष्ट और स्क्रेप का आयात के अंतर्गत समुद्री पत्तन द्वारा अखंडित स्क्रेप (एचएमएस-I और एचएमएस-II) के आयात की मंजूरी अभिशासित करने वाली शर्तों का विवरण देते हुए एक नया पैरा (V) निम्नानुसार जोड़ा जाता है:

2.54 (घ) (V) : अब से अखंडित धात्विक स्क्रेप के आयात के लिए केवल प्रवेश समुद्री पत्तनों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन नामित और अधिसूचित किया जायेगा :-

अखंडित धात्विक स्क्रेप के आयात के लिए नामित किए जाने वाले किसी भी समुद्री पत्तन पर पर्याप्त सुरक्षा के साथ रेडिएशन पोर्टल मानीटर एवं कंटेनर स्कैनर संस्थापित करना अपेक्षित होगा । उपर्युक्त से युक्त समुद्री पत्तन को निरीक्षण और प्रमाणन के लिए क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा-शुल्क कार्यालय से सम्पर्क करना होगा । सीमा शुल्क कार्यालय आईआरबी से प्रमाणन प्राप्त करने के बाद आवश्यक मंजूरी दे सकता है ।

सीमा शुल्क कार्यालय से मंजूरी मिलने के बाद विदेश व्यापार महानिदेशालय ऐसे पत्तन को अखंडित स्क्रेप के आयात के लिए नामित पत्तन के रूप में अधिसूचित करेगा।

मौजूदा नामित समुद्री पत्तनों नामतः चेन्नई, कोचिन, इन्नोर, जेएनपीटी, कांडला, मोरमुगांव, मुम्बई, न्यू मंगलौर, पारादीप, तुतीकोरीन, विशाखापत्तनम, पिपावा, मुंद्रा और कोलकाता को 31 मार्च, 2017 तक अखंडित स्क्रेप का आयात करने की अनुमति होगी और उस समय तक उन्हें रेडिएशन पोर्टन मानीटर एवं कंटेनर स्कैनर संस्थापित और परिचालित करना होगा। अखंडित धात्विक स्क्रेप के आयात के प्रयोजन के लिए उन समुद्री पत्तनों की मान्यता दिनांक 1.04.2017 से रद्द कर दी जाएगी जो इस समय-सीमा का पालन नहीं करेंगे।

इसके अलावा कोई आईसीडी अखंडित धात्विक स्क्रेप की निकासी का संचालन कर सकता है बशर्ते कि यह स्क्रेप उपर यथाउल्लिखित नामित किसी भी समुद्री पत्तन अथवा समय-समय पर अधिसूचित/नामित किए जाने वाले किसी भी नए पत्तनों से होकर जा रहा हो, जहां रेडिएशन पोर्टल मॉनिटर और कंटेनर स्कैनर परिचालन में है और खेप सीमा शुल्क विभाग द्वारा निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार जोखिम आधारित स्क्रेनिंग/निगरानी के अधीन है।

उपर्युक्त के बावजूद, आयात खेप सार्वजनिक सूचना सं. 23/2015-20 दिनांक 30 जून, 2015 के प्रावधान के अधिक्रमण में स्रोत देश से पूर्व-निरीक्षण प्रमाण पत्र के अधीन होगी। तथापि पूर्व-पोतलदान निरीक्षण प्रमाण पत्र (पीएसआईसी) की आवश्यकता की समीक्षा अखंडित धात्विक स्क्रेप आयात से जुड़े जोखिम के मूल्यांकन पर आधारित अखंडित धात्विक स्क्रेप के आयात की निकासी अभिशासित करने वाले उपर्युक्त तंत्र के परिचालन के साथ की जाएगी।

2. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव :** आईसीडी द्वारा अखंडित धात्विक स्क्रेप के आयात हेतु पत्तनों को नामित करने और अखंडित स्क्रेप के संचालन की प्रक्रिया को निर्धारित किया जाता है।

अनूप वधावन, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 6th October, 2016

No. 38/(2015-2020)

Subject: Procedure governing import of un-shredded scrap (HMS-I & HMS-II) under Para 2.54 of Handbook of Procedures (2015-2020).

No. 01/89/180/53/AM-01/PC-2 (B).—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, (2015-2020), the Director General of Foreign Trade hereby inserts a new para (v) detailing the conditions governing clearance of imports of un-shredded scrap (HMS- I & HMS- II) by sea ports under Para 2.54- Import of Metallic Waste and Scrap in the Handbook of Procedures, 2015-2020 as under:

2.54 (d) (v): Henceforth, only entry sea ports will be designated and notified for import of un- shredded metallic scrap subject to the following:

Any sea port to be designated for import of un–shredded metallic scrap will be required to install Radiation Portal Monitors and Container Scanner with adequate security. The sea port having completed the above shall approach jurisdictional Customs for inspection and certification. Customs may give necessary clearance on receipt of certification from AERB. On getting clearance from Customs, DGFT will notify such a port as designated port for import of un–shredded scrap.

The existing designated sea ports namely Chennai, Cochin, Ennore, JNPT, Kandla, Mormugao, Mumbai, New Mangalore, Paradip, Tuticorin, Vishakhapatnam, Pipava, Mundra and Kolkata will be allowed to import un-shredded scrap till 31st March, 2017 by which time they are required to install and operationalize Radiation Portal Monitors and Container Scanner. Such sea ports which fail to meet the deadline will be derecognised for the purpose of import of un-shredded metallic scrap w.e.f 1.4.2017.

Further, any ICD can handle clearance of un–shredded metallic scrap provided the same passes through any of the designated sea ports as mentioned above or any new ports to be notified/designated from time to time, where Radiation Portal Monitors and Container Scanner are in operation and the consignment is subjected to risk based scanning/ monitoring as per the protocol laid down by Customs.

Notwithstanding the above, import consignments shall be subject to pre-inspection certificate from the country of origin in supersession of the provision in Public Notice No. 23/2015-20 dated 30th June, 2015. However, requirement of Pre-Shipment Inspection Certification (PSIC) will be reviewed with the operationalisation of the above mechanism governing the clearance of imports of un– shredded metal scrap, based on assessment of risk associated with un-shredded metal scrap imports.

2. Effect of this Public Notice: The procedure for designating ports for imports of un-shredded metallic scrap and handling of un-shredded scrap by ICDs is prescribed.

ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade